

17.11.17

काधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित  
कामलिप्य रिपोर्ट होकर  
पञ्जावली काज पेश हुई। पञ्जावली दर्ज  
करीकर करे। काधिवक्ता अपीलार्थी  
की बहस जानना पत्र स्पगन पर  
शुनी गई। पञ्जावली वाले कोदेश हेतु  
दिनांक 21/11/2017 को पेश ही।

21/11/17

पञ्जावली वाले कोदेश जानना पत्र  
स्पगन हेतु प्रस्तुत हुई। काधिवक्ता  
अपीलार्थी ने बहस में मुख्य रूप से  
निवेदन किया कि प्रार्थी अपीलार्थी  
विवादग्रस्त भूमि के रिकार्ड स्वतंत्र  
कारतकार हैं एवं वादग्रस्त भूमि पर अपने  
द्विसे पर काबिज होकर शान्तिपूर्वक कारत  
करता चला आ रहा है ऐसे में भी काधिवक्ता  
न्यायालय द्वारा प्रार्थी अपीलार्थी को  
शुनवाई का अवसर दिये बिना ही  
साज एकाक्षर बहस को सुनकर शोधित  
रूप से पाबन्ड कर दिया। कतः अपीलार्थी  
कोदेश की डिमान्वित व्यागित करमा  
जावे।

दत्तने काधिवक्ता प्रार्थी अपीलार्थी  
की बहस पर गौर किया एवं पञ्जावली  
का अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलार्थी  
वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड स्वतंत्र  
कारतकार हैं तिनको शुनवाई के अवसर  
दिये बिना ही उनकी श्वाते की कागजीगत  
के उपयोग - उपयोग से पाबन्ड किया

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

वंशीधर / कान्छराम

तारीख हुकम

2017

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

कॉम्प्लेक्स न्यायालय द्वारा पारित  
कंपीलाधीन कोर्ट का ऑर्डर दिनांक 11/10/2017  
की डिमान्विति एवागित करी जाकर  
उक्त कॉम्प्लेक्स न्यायालय को इस  
निर्देश के साथ परिप्रेषित किया जाता  
है कि वे उक्तपक्षों को सुनवाई का  
समुचित अवसर प्रदान कर एक  
माह की अवधि में प्रावना पत्र  
द्वारा 212 सवकमान काश्तकारी  
कॉम्प्लेक्स का गुणावगुण पर निस्तारण  
करे। तदनुसार अपील के अन्तर्गत  
कामवाही शेष नहीं होने से पत्रावली केसल शुका  
द्वारा वाद तबभीत जारीत कबतर  
है। कोर्ट सुनाया गया।